झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड

CIN U40108 JH2013 SGC 001702
निगम कार्यालय :*अभियंत्रण भवन, एच०ई०सी०, धुर्वा, राँची–4*

संकल्प संख्या ......643....../ राँची, दिनांक 21.04.2022
V/ JBV/ Comp/ HZB-504/ 18 (Part-II)

विषयः– **झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा निर्गत Compensation to Victims of Electrical Accident Regulations-2018 की कंडिका–6 में निहित प्रावधानों के आलोक में विद्युत स्पर्शाघात के मामलों पर कार्रवाई करने के संबंध में।**

विद्युत स्पर्शाघात की घटना में मृत/ घायल व्यक्ति के निकटतम परिजन/ घायल व्यक्ति को अनुग्रह अनुदान के रूप में निर्धारित राशि के भुगतान हेतु पूर्ववर्ती झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड सम्प्रति विद्युत कंपनी द्वारा प्रक्रिया एवं मानदर निर्धारित है एवं समय-समय पर अनुग्रह अनुदान की दर में संशोधन सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत किया जाता रहा है। विद्युत स्पर्शाघात की घटना में मृत पशु-पक्षी एवं कुक्कुट के मुआवजा भुगतान हेतु पूर्व में कोई प्रावधान एवं प्रक्रिया नहीं रहने के कारण अनुग्रह अनुदान का भुगतान नहीं किया जाता था।

2. विद्युत स्पर्शाघात की घटना के पश्चात् जाँच की प्रक्रिया एवं अनुग्रह अनुदान/ मुआवजा की राशि के निर्धारण तथा इसे प्रभावकारी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा Compensation to Victims of Electrical Accident Regulations-2018 से संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन झारखण्ड गजट में दिनांक 21.12.2018 को किया गया है जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी है।

3. उक्त अधिसूचित Compensation to Victims of Electrical Accident Regulations-2018 के कंडिका–6 में निम्नलिखित प्रावधान वर्णित हैः–

"The quantum of compensation payable in respect of death or injury to a human being or an animal shall be arrived at by the licensee as specified in the guidelines to framed be the licensee. The licensee shall frame guidelines within three months from the date of the publication of these regulations in the official gazette".

4. निदेशक मंडल की दिनांक 15.03.2022 को 54वीं बैठक में Agenda Item No. 50-11 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित तथा दिनांक 21.12.2018 को झारखण्ड गजट में प्रकाशित Compensation to Victims of Electrical Accident Regulations-2018 में निहित उक्त प्रावधान के तहत् झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में विद्युत स्पर्शाघात से संबंधित मामलों के संबंध में निम्नांकित रूप कार्रवाई की जायेगीः–

i. Compensation to Victims of Electrical Accident Regulations-2018 में वर्णित प्रावधान के अनुसार विद्युत स्पर्शाघात से संबंधित मामलों के संबंध में समुचित कार्रवाई संबंधित पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

ii. Compensation to Victims of Electrical Accident Regulations-2018 में वर्णित प्रावधान के अनुसार विद्युत स्पर्शाघात की घटना में घायल/ विकलांगता संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी/ सिविल सर्जन द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र तथा मानव/ पशु मृत्यु से संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के पश्चात् निर्धारित अनुग्रह अनुदान/ मुआवजा का मानदर निम्नवत् देय होगाः–

(क)	मानव मृत्यु	– ₹5,00,000/-
(ख)	(i) मानव विकलांगता (60% से अधिक)	– ₹2,00,000/-
	(ii) मानव विकलांगता (40% से 60%)	– ₹60,000/-
(ग)	एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में रहने पर	– ₹15,000/-
(घ)	एक सप्ताह से कम अस्पताल में रहने पर	– ₹5,000/-
(ङ)	(i) बड़े दुग्धकारी पशु (भैंस, गाय इत्यादि)	– ₹30,000/-
	(ii) छोटे दुग्धकारी पशु (भेड, बकरी, सुअर इत्यादि)	– ₹3,000/-

(च) (i) बड़े अदुग्धकारी पशु (ऊँट, घोड़ा, बैल इत्यादि) – ₹25,000/-

(ii) छोटे अदुग्धकारी पशु (बछड़ा, गधा इत्यादि) – ₹16,000/-

(छ) पोल्ट्री (Poultry) – ₹50/- प्रति पक्षी।

<u>नोट</u>:– विद्युत स्पर्शाघात से जानवरों की मृत्यु के फलस्वरूप मुआवजा वास्तविक नुकसान के स्थान पर 03 (तीन) बड़े दुग्धकारी पशु अथवा 30 (तीस) छोटे दुग्धकारी पशु के लिए एवं इसी तरह 03 (तीन) बड़े अदुग्धकारी पशु अथवा 06 (छः) छोटे अदुग्धकारी पशु के लिए दावा मान्य किया जाना है। Poultry के संदर्भ में मुआवजा ₹50/- प्रति पक्षी की दर से भुगतान किया जाना है जिसमें अधिकतम सीमा ₹1,000/- प्रति लाभार्थी परिवार निर्धारित होगी।

iii. **<u>विद्युत स्पर्शाघात की घटना में घायल पशु का प्रस्तावित मुआवजा दरः-</u>**

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा दिनांक 21.12.2018 को अधिसूचित Compensation to Victims of Electrical Accident Regulations-2018 की कंडिका-6 में वर्णित प्रावधान के अनुसार विद्युत स्पर्शाघात की घटना में घायल पशु के विकलांगता का निर्धारण जिला पशुपालन पदाधिकारी/ पशुपालन पदाधिकारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर मुआवजा दर निम्नवत् देय होगाः-

(क) बड़े दुग्धकारी पशु के विकलांगता 80% से अधिक (भैंस, गाय इत्यादि) – ₹5,000/-

(ख) छोटे दुग्धकारी पशु के विकलांगता 80% से अधिक (भेड़, बकरी, सुअर इत्यादि) – ₹500/-

(ग) बड़े अदुग्धकारी पशु के विकलांगता 80% से अधिक (ऊँट, घोड़ा इत्यादि) – ₹2,000/-

(घ) छोटे अदुग्धकारी पशु के विकलांगता 80% से अधिक (बछड़ा, गधा इत्यादि) – ₹1,000/-

iv. **<u>विद्युत स्पर्शाघात की घटना का रिपोर्टः-</u>**

विद्युत स्पर्शाघात की घटना के संबंध में अधीनस्थ कर्मी/ क्षेत्र में पदस्थापित कर्मियों के माध्यम से सूचना प्राप्त होने अथवा घटना से प्रभावित व्यक्ति से संलग्न अनुलग्नक-II में किये गये दावा अथवा स्थानीय व्यक्ति/ जनप्रतिनिधि/ किसी अन्य के द्वारा विद्युत स्पर्शाघात की घटित घटना की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित कनीय विद्युत अभियंता/ सहायक विद्युत अभियंता घटित दुर्घटना की जाँच कर संबंधित मुख्य विद्युत निरीक्षक एवं विद्युत कार्यपालक अभियंता को अनुलग्नक-I, II एवं III के साथ 24 घंटों के भीतर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

v. कनीय विद्युत अभियंता/ सहायक विद्युत अभियंता से विद्युत स्पर्शाघात की घटित घटना से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन को संबंधि विद्युत कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से जाँचोपरांत/ समीक्षोपरांत स्पष्ट मंतव्य/ अनुशंसा के साथ स्पष्ट प्रतिवेदन 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर अग्रतर कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंत, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

vi. **<u>अनुग्रह अनुदान/ मुआवजा के भुगतान हेतु समिति का गठनः-</u>**

विद्युत कार्यपालक अभियंता के माध्यम से महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता को प्राप्त विद्युत स्पर्शाघात से संबंधित मामले की समीक्षा एवं देय अनुग्रह अनुदान/ मुआवजा के संबंध में विचारोपरांत अनुशंसा हेतु निम्न प्रकार से समिति का गठन किया जाता हैः-

1. संबंधित क्षेत्र के महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता जहाँ स्पर्शाघात की घटना घटित हुई हो। - अध्यक्ष
2. संबंधित क्षेत्र के उप महाप्रबंधक/ विद्युत अधीक्षण अभियंता जहाँ स्पर्शाघात की घटना घटित हुई हो। - सदस्य
3. संबंधित क्षेत्र के विद्युत कार्यपालक अभियंता (स्थापना) जहाँ स्पर्शाघात की घटना घटित हुई हो। सदस्य
4. संबंधित क्षेत्र के वरीय प्रबंधक (तकनीकी)/ विद्युत कार्यपालक अभियंता जहाँ स्पर्शाघात की घटना घटित हुई हो। - सदस्य सचिव
5. संबंधित क्षेत्र के वरीय प्रबंधक (वि० एवं ले०) जहाँ स्पर्शाघात की घटना घटित हुई हो। - सदस्य

महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता द्वारा प्रतिमाह एक निर्धारित तिथि को नियमित रूप से विद्युत स्पर्शाघात से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु उक्त गठित समिति की बैठक आयोजित की जायेगी तथा विचारोपरांत समिति द्वारा Compensation to Victims of Electrical Accident Regulations-2018 में वर्णित प्रावधान एवं इसके अनुपालन में निर्गत मार्गदर्शिका (Guidelines)/ अन्य सुसंगत प्रावधान के आलोक में स्पष्ट अनुशंसा की जायेगी।

vii. **अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारः-**

गठित समिति की बैठक की कार्यवाही के अनुमोदन एवं अनुग्रह अनुदान/ मुआवजा के भुगतान की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता होंगे।

viii. विद्युत स्पर्शाघात की घटनाओं में सम्पत्ति की क्षति होने पर कंडिका-vi में वर्णित समिति द्वारा ही क्षति का आकलन एवं विचारोपरांत अनुशंसा की जायेगी।

ix. **अपीलीय प्राधिकारः-**

विद्युत स्पर्शाघात से संबंधित देय अनुग्रह अनुदान/ मुआवजा/ संपत्ति की क्षति के संबंध में अपील अभ्यावेदन के निष्पादन हेतु प्रबंध निदेशक, झा०बि०वि०नि०लि० सक्षम अपीलीय प्राधिकार होंगे। अनुग्रह अनुदान/ मुआवजा के भुगतान की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता के द्वारा निर्गत आदेश के विरूद्ध क्षुब्ध/ व्यथित व्यक्ति के द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अंदर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा। सक्षम अपीलीय प्राधिकार के द्वारा निर्धारित रीति/ प्रक्रिया के तहत् अपील अभ्यावेदन पर विचार किया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार जाँच/ साक्ष्य प्राप्त कर अपील अभ्यावेदन का निस्तारण करेंगे।

x. **विद्युत स्पर्शाघात से संबंधित मामलों का अभिलेख संधारण एवं कर्मी की व्यवस्थाः-**

विद्युत स्पर्शाघात से संबंधित मामलों का अभिलेख संधारण हेतु कर्मी एवं पदाधिकारी प्राधिकृत किये जायेंगे जो सक्षम पदाधिकारी के दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्य करेंगे।

xi. झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा निर्गत अधिसूचना Compensation to Victims of Electrical Accident Regulations-2018 के प्रावधानों को संकल्प निर्गत होने की तिथि से लागू समझा जायेगा।

xii. इस संबंध में पूर्व में निर्गत आदेशों को उक्त हद तक संशोधित समझा जाए।

अनुलग्नकः- I, II एवं III

झा०बि०वि०नि०लि० के आदेश से

21/4/22

(समीर मुण्डू)
महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांकः ....644..../राँची, दिनांकः 21-04-2022

प्रतिलिपिः सचिव, झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21/4/22

(समीर मुण्डू)
महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांकः ....644..../राँची, दिनांकः 21-04-2022

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/ विशेष कार्य पदाधिकारी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक प्रकोष्ठ, झा०ऊ०वि०नि०लि०/ उप महाप्रबंधक, प्रबंध निदेशक प्रकोष्ठ, झा०बि०वि०नि०लि०/ प्रबंध निदेशक के तकनीकी सचिव, झा०ऊ०उ०नि०लि०/ प्रबंध निदेशक के तकनीकी सचिव, झा०ऊ०सं०नि०लि०/ अपर पुलिस महानिदेशक (नि० एवं सु०) के निजी सहायक/ महाप्रबंधक (कार्मिक-सह-सामान्य प्रशासन) के निजी सहायंक, झा०ऊ०वि०नि०लि० को सूचनार्थ प्रेषित।

21/4/22
(समीर मुण्डू)
महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांकः ....644..../राँची, दिनांकः 21-04-2022

प्रतिलिपिः सभी कार्यकारी निदेशक/ सभी महाप्रबंधक/ सभी उप महाप्रबंधक/ वरीय विधि परामर्शी-सह-अपर सचिव, झा०बि०वि०नि०लि०, निगम मुख्यालय, राँची/ सभी महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/ सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल/ सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल/ कंपनी सचिव/ सभी वरीय प्रबंधक/ सभी प्रबंधक/ सभी कनीय प्रबंधक (तकनीकी), झा०बि०वि०नि०लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, हजारीबाग से अनुरोध है कि उक्त संकल्प के आलोक में WP (C) No. 2849/ 2021 में दिनांक 21.09.2021 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहेंगे।

21/4/22
(समीर मुण्डू)
महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांकः ....644..../राँची, दिनांकः 21-04-2022

प्रतिलिपिः महाप्रबंधक (आई०टी०), झा०बि०वि०नि०लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि उक्त संकल्प को झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के वेबसाईट (WEB SITE) पर अपलोड किया जाय।

21/4/22
(समीर मुण्डू)
महाप्रबंधक (मा०सं०)

ANNEXURE- I: OCCURRENCE REPORT

(See Clause A7 of these Regulations)

1. Date & Time of accident: ....
2. Place of accident (Village/Town, Mandal, District): ....
3. Designation of the Officer-in-charge of the Licensee in whose jurisdiction the accident occurred:..............................
4. Nature & Details of the accident:..............................
5. Details of Victim(s) (Fatal/Non-Fatal):..............................
    a. Human: ....
    b. Animal: ....
    c. Other..................................
6. Details of Property damaged
7. Detailed causes leading to the accident: (Use a separate sheet and attach it to thisform, if needed):..............................
8. Details of the persons who witnessed the accident: (Name, designation, address etc.,):..............................
9. Action Taken:..............................
10. Any other information:..............................

Signature

Name & Designation

ANNEXURE- II: CLAIM FORM FOR PAYMENT OF COMPENSATION

(See ClauseA8 of these Regulations)

1. Date & Time of accident:..............................
2. Place of accident: ....
3. Details of the accident: ....
4. Details of the deceased or Injured person(s):
   a. Name (s): ....
   b. Age: ....
   c. Sex: ....
   d. Address: ....
   e. Occupation: ....
5. Details of the dead or injured animal(s)
   a. Description: ....
   b. Number: ....
   c. Value: ....
6. Details of Property(s) damaged and value ....
7. In case of non-fatal accidents, details of temporary/permanent/total/partial disabilities suffered, if any:.............................. (Enclose a certificate issued by the relevant Doctor in a Hospital)
8. Details of the dependents: ....
9. Whether or not an FIR is registered by the Police: ....

Signature of the claimant(s)

Name of the claimant(s): ....
Relationship with the deceased/injured/animal: ....

To be enclosed to the extent they can be reasonably secured apart from any other information which the claimant(s) feel relevant:

For Humans:

1. Proof of identity of the claimant.
2. A copy of the FIR.
3. A copy of the post mortem report.
4. A copy of the inquest report/ panchanama and enquiry report.
5. A copy of the Death certificate or wound certificate.
6. A copy of any photo of the deceased or injured person (after the accident), if available Evidence of relationship with the deceased Evidence of expenses of hospitalization and treatment.)

For Animals:

1. A copy of any photo of the deceased or injured animal (after the accident), if available
2. Evidence of ownership and value of the animal(s) (if available)

For Property (s)

1. A copy of any photo of the damaged property (after the accident), if available
2. Documents showing ownership
3. Estimated value of damage

(By order of the Commission)

(A.K. Mehta)
Secretary
JharkhandState Electricity Regulatory Commission

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 1143 -- 50